"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 211] रायपुर, बुधवार, दिनांक 21 मई 2014— वैशाख 31, शक 1936

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 मई 2014

आदेश

क्रमांक-3928/1402/XXI-B/C. G./2014. — राज्य शासन द्वारा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, न्यायमूर्ति श्री एल. सी. भादू , को इस विभाग की आदेश क्रमांक 471 (पीएस)/600/21-ब/छ. ग./2014 रायपुर, दिनांक 28-02-2014 द्वारा "एकल सदस्यीय छत्तीसगढ़ राज्य विधि आयोग" के अध्यक्ष के पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिये नियुक्त किया गया है.

छत्तीसगढ़ राज्य विधि आयोग, के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश, न्यायमूर्ति श्री एल. सी. भादू को उक्त पद पर कार्यकाल के दौरान निम्नानुसार वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधायें प्राप्त होंगी :-

1. **वेतन**-उच्च न्यायालय के सेवारत् न्यायाधीश के समकक्ष वेतन भत्ते की पात्रता होगी, जिसमें से पेंशन (सारांशीकरण की राशि शामिल) घटाई जावेगी.

2. **भत्ता एवं अन्य सुविधायें**-उच्च न्यायालय के सेवारत् न्यायाधीश के अनुरूप, सभी भत्ते एवं सुविधाएं प्राप्त होंगे.

3. यह स्वीकृति वित्त विभाग के क्रमांक F-2014-21-00303/B-3/चार दिनांक 03-05-2014 द्वारा प्रदान की गई है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.